15वाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025

स्रोत: पी.आई.बी.

15वाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा, जो भारत निर्वाचन आयोग के 75 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।

- **राष्ट्रीय मतदाता दिवस का महत्त्व: 25 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने से एक दिन पहले ECI की स्थापना** की स्मृति में वर्ष 2011 से यह दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है।
  - इसका उद्देश्य **मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देना, भागीदारी को प्रेरित करना एवं नवीन मतदाताओं** को सम्मानित करना है।
- **2025 की थीम:** इस वर्ष की थीम ***"???????? ????? ???? ?????, ???? ????? ????????? ??"***, चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी के महत्त्व पर बल देने के साथ मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में गर्व महसूस करने हेतु प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।
- **मतदाता आधार: भारत का मतदाता आधार 100 करोड़ के आँकड़े के करीब पहुँच गया है, जिसमें 99.1 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 21.7 करोड़ युवा मतदाता (18-29 आयु वर्ग) शामिल हैं और बेहतर चुनावी लिंगानुपात (वर्ष 2024 में 948 से वर्ष 2025 में 954 तक) है।**
- **15 वें NVD के मुख्य आकर्षण**: भारत के राष्ट्रपति सर्वश्रेष्ठ चुनावी कार्यप्रणाली पुरस्कार प्रदान करेंगे।
  - सर्वोत्तम निर्वाचन कार्य पद्धति पुरस्कार **चुनाव प्रबंधन** में उत्कृष्टता को मान्यता देता है, जिसमें **ज़िला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों** और **असाधारण प्रदर्शन करने वाले राज्यों** को पुरस्कार दिया जाता है।
  - ECI कॉफी टेबल बुक ***"???????? ?????? 2024: ? ????? ?? ?????????????"*** और प्रकाशन ***"?????? ?? ? ?????: ???????? ????????? ???????? ????????? 2024 ??????????"*** राष्ट्रपति को भेंट किया जाएगा।

//

भारत निर्वाचन आयोग

Drishti IAS

परिचय

- स्वायत्त संवैधानिक निकाय
- लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन
- स्थापना- 25 जनवरी, 1950 (राष्ट्रीय मतदाता दिवस)

संवैधानिक प्रावधान
भाग XV-अनुच्छेद 324 से 329

संरचना

- 1 मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त (राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त)
- **कार्यकाल** - 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
- **सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त**- सरकार द्वारा पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र
- **मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना**- सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक के समर्थन से उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत के साथ सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर प्रस्ताव

प्रमुख भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

- चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण
- मतदाता सूची तैयार करना और उसका पुनरीक्षण करना
- चुनाव कार्यक्रम और तारीखों को अधिसूचित करना
- राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और उन्हें राष्ट्रीय या राज्य दलों का दर्जा देना
- राजनीतिक दलों के लिये "आदर्श आचार संहिता" जारी करना

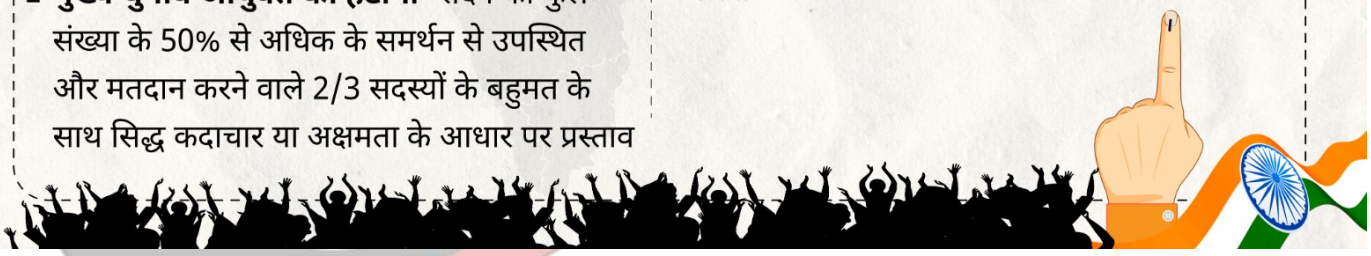

और पढ़ें: भारत के चुनावी लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/15th-national-voters-day-2025